क्रमांक 3226-4 जी0एस0-II-73/20432

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, हरियाणा में सभी उपायुक्त तथा सभी उप-मण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 9 अगस्त, 1973

विषय :—भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र संख्या 2815-4 जी0एस0-II-71/30857 दिनांक 29 अक्तूबर 1971 में दिए गए अनुदेशों की ओर दिलाऊं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि सामान्य पदों के लिए उम्मीदवारों का विभिन्न विभागों द्वारा पृथक पृथक साक्षात्कार करने की बजाए, भूतपूर्व सैनिकों जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं, का साक्षात्कार राज्य प्रवरण समिति द्वारा किया जाए । तत्पश्चात समिति सभी कार्यालयों तथा सरकारी विभागों में श्रेणी-III तथा IV के पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गए भूतपूर्व सैनिकों की एक विशेष नामिका तैयार करे तथा रिक्तियां, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है अथवा जिनमें भूतपूर्व सैनिकों को अधिमान्यता दी जानी है, विशेष नामिका में दिए गए उम्मीदवारों द्वारा भरी जाए ।

2. सरकार को पता चला है कि अधिकांश सरकारी विभाग सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों को राज्य प्रवरण समिति द्वारा सिफारिश भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचित नहीं करते जिसके परिणाम स्वरुप रोजगार कार्यालयों के रिकार्ड अपूर्ण रह जाते हैं । अतः यह अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में भूतपूर्व सैनिकों के नियुक्ति आदेश की एक प्रति सम्बन्ध रोजगार कार्यालयों को निरन्तर भेजी जाए ।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया इन आदेशों को अनुपालनार्थ नोट कर लिया जाए तथा कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए ।

भवदीय,
हस्ता/—
संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

वित्तायुक्त राजस्व तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।